G.P.Ju.

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

2024/123

CNR NUMBER ....

Court of न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक), at जोधपुर

Kind of the Case धारा-151 CPC

Number of Case C/75 Year 2024

डोली मंदिर विष्णु भगवान जरिये पुजारी Versus तेजाराम के वारिसान व अन्य

Date	Order with Initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
24/07/24	पत्रावली पेश। अधि. प्रार्थी उप.। प्रा. पत्र दर्ज किया गया। अधि. अप्रार्थी की ओर से अधि.२ प्रा. पत्र की प्रति प्राप्त की गई। वास्ते जवाब / बहस प्रा. पत्र पत्रावली दिनांक 25/07/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), जोधपुर	
25/07/24	पत्रावली पेश। वकुलाय उप.। उभयपक्ष बहस सुनी गई। वास्ते आदेश प्रा. पत्र पत्रावली दिनांक 26/07/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
26/07/24	पत्रावली पेश। उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। मुताबिक बहस अधि. प्रार्थी-" ख. सं. 201, 202, ग्राम झालामंड पर वादीगण के दादा हरिदास ने भाड़े के मालिक तेजा पुत्र गुमाना को कब्जा काश्त हेतु दी। वर्तमान Revenue record में तेजा का नाम इन्द्राज है, जो मंदिर हित विरुद्ध है। संवत 2011-2030 की खतौनी में ख. सं. 201, 202 की भूमि डोली मंदिर विष्णु भगवान वाके देह पुजारी सूरजदास, हरिराम के नाम दर्ज थी। आगे की खतौनी में बिना किसी सक्षम आदेश, मंदिर का नाम हटा दिया। उक्त दुरुस्ती हेतु	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER 2024/123

Number of Case C/75/ Year 2024

डोली मंदिर विष्णु भगवान जरिये पुजारी Versus तेजाराम के वारिसान व अन्य

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	मा. राज. मंडल अजमेर के reference निर्णय के विरुद्ध मा. राज. उच्च न्यायालय में appeal लंबित है। दिनांक 24/05/24 को न्यायालय द्वारा बिना विवेचन कानूनी उद्धरण प्रकरण पर लागू नहीं होना बताया, उल्लेख किया गया कि भूमि जागीर पुनर्ग्रहण अधि. 1952 के प्रभाव में आने के पूर्व। बाद में मंदिर की खुदकाश्त भूमि रही है। इस आधार पर प्रा. पत्र अस्वीकार किया गया। अतः जब तक वाद में सबूत द्वारा निर्णायक बिंदु तय नहीं किया जाता, तब तक मौका एवं record की यथास्थिति बनाए जाने हेतु आदेशित करें।" मुताबिक बहस अधि. अप्रार्थी- "आदेश recall करने हेतु मुख्य ground, यदि कोई document consideration से रह जाए होता है, उस संबंध में कोई तथ्य पेश नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया relief कानून संगत नहीं है। अतः प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे।" उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आधार पर प्रा. पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है- 1. objection 1 in review application (बिना विवेचन कानूनी उद्धरण प्रकरण पर लागू नहीं होना बताया है)	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER 2024/123

Number of Case C/75/ Year 2024

डोली मंदिर विष्णु भगवान जरिये पुजारी Versus तेजाराम के वारिसान व अन्य

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	न्यायालय विवेचनः प्रस्तुत citation (State V/s Kaniram – Land was recorded as Khudkasht of Murti Mandir – No Khatidari rights can be conferred on Pujari.) हस्तगत प्रकरण में ख॰सं॰ 201, 202 खुदकाश्त दर्ज ना होकर काश्तकार का नाम दर्ज है, जबकि citation खुदकाश्त भूमि के संबंध में पेश किया गया है, अतः प्रकरण पर लागू नहीं है। 2. objection 2 in review application के (भूमि जागीर पुनर्ग्रहण अधि॰ 1952 के प्रभाव में आने के पूर्व / बाद में मंदिर की खुदकाश्त भूमि नहीं होने के आधार पर प्रा॰ पत्र अस्वीकार किया गया) न्यायालय विवेचनः प्रा॰ पत्र का निर्णय summary trial से किया जाता है। प्रा॰ पत्र के समर्थन में दस्तावेज स्वयं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों के विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है क्योंकि प्रार्थीगण वर्तमान जमाबंदी में recorded खातेदार नहीं है। प्रस्तुत खतौनी वक्त settlement में भी विवादित भूमि प्रार्थीगण के खुदकाश्त में दर्ज नहीं है।	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER 2024/123

Number of Case C/75/ Year 2024

डोली मन्दिर विष्णु भगवान जरिये पुजारी Versus तेजाराम के वारिसान

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	उपरोक्त के आधार पर प्रा-पत्र under section 151 CPC for recalling order of court dated 24/05/24 अस्वीकार किया जाता है। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल-शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो। Priyanka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर सहायक कलक्टर एवं ... मजिस्ट्रेट (फास्ट ...) जोधपुर	